प्रधान मंत्री जन धन योजना
के तहत जन-धन ख़ाताधारकों
के लिये रु.30,000/-के
जीवन बीमा सुरक्षा के
दावा निपटारा हेतु प्रक्रिया -परिशिष्ट

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन सुरक्षा– संशोधन

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिनांक 20.04.2015 के पत्र संख्या 1/13016/01/2014-बीमा-I के अनुसार प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन सुरक्षा के अधीन संशोधित शर्तें और निबंधन निम्नलिखित हैं:

1. अपात्र श्रेणियों के पैरा के अंतर्गत पीएमजेडीवाई के दिशानिर्देशों और विशेषताओं के अनुसार एक अपात्र श्रेणी का उल्लेख "अन्यथा पात्र खाताधारक, जिनके पास खाते के प्रति बैंक की किसी अन्य योजना के कारण जीवन सुरक्षा है, को दो योजनाओं के बीच विकल्प चुनना होगा और किसी एक से लाभ लेना होगा" के रूप में किया गया है।

   संशोधन : यह निर्णय लिया गया है कि पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत सदस्य को कवरेज से मना नहीं किया जा सकता, यदि सदस्य ने स्वयं उसी बैंक खाते से संबद्ध किसी अन्य बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए पूरे या आंशिक बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया है।

2. पीएमजेडीवाई के संयुक्त खाते के मामले में, यदि प्राथमिक खाताधारक 30,000/- रुपए के जोखिम सुरक्षा के लिए अपात्र है, तो क्या 30,000/- रुपए का जोखिम सुरक्षा द्वितीयक खाताधारक को प्रदान किया जा सकता है, यदि वह पात्रता की शर्तें पूरी कर रहा/रही है।

   संशोधन : यह निर्णय लिया गया है कि पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत संयुक्त खाते के मामले में, यदि प्राथमिक खाताधारक 30,000/- रुपए के जोखिम सुरक्षा के लिए अपात्र है तो 30,000/- रुपए का जोखिम सुरक्षा द्वितीयक खाताधारक को प्रदान किया जाना चाहिए, बशर्ते कि यदि वह जीवन सुरक्षा के लिए पात्रता की शर्तें पूरी करता/करती है।

3. योजना का विस्तारण : पहले यह योजना 15.08.2014से 26.01.2015 तक खुली थी।

   संशोधन : यह निर्णय लिया गया है कि यह योजना 31.01.2015 तक विस्तारित की जाए।

4. यह संभव है कि खाता खोलने की तारीख को यथास्थिति (15 अगस्त, 2014 से 25 जनवरी, 2015 के बीच खोले गए खाते) खाताधारक 18 वर्ष की आयु का न हो, परंतु बाद में 18 वर्ष की आयु (16 अगस्त, 2014 से 26 जनवरी, 2015 के बीच) प्राप्त कर रहा है।" यदि सदस्य 26.01.2015 से पहले तत्पश्चात 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो क्या उसके नाम पर प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन बीमा कवरेज के लिए विचार किया जाए या नहीं।

   संशोधन : यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई नाबालिग 15 अगस्त, 2014 और 26 जनवरी, 2015 के बीच कोई खाता खोलता है तो उसे 15.08.2014 से 26.01.2015 तक (अब 31.01.2015 तक विस्तारित कर दी गई) उस अवधि के अंदर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जीवन बीमा सुरक्षा के लिए पात्र माना जाना चाहिए।

5. पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जीवन सुरक्षा के लिए पात्रता की मूलभूत शर्तों में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए गए हैं:

i. मूल शर्त : 15.08.2014 से 26.01.2015 तक की अवधि या किसी अतिरिक्त अवधि, जो भारत सरकार द्वारा आगे विस्तारित की जाए, के दौरान अतिरिक्त रूपे कार्ड के साथ पहली बार बैंक खाता खोलने वाला व्यक्ति।

पात्रता की संशोधित शर्त : 15.08.2014 से 31.01.2015 तक की अवधि या किसी अतिरिक्त अवधि, जो भारत सरकार द्वारा आगे विस्तारित की जाए, के दौरान अतिरिक्त रूपे कार्ड वाला बैंक खाता खोलने वाला व्यक्ति।

ii. मूल शर्त : व्यक्ति आमतौर पर परिवार का मुखिया या परिवार का अर्जनकर्ता सदस्य होना चाहिए और 18 से 59 के आयु समूह (अर्थात कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और 60 वर्ष का नहीं होना चाहिए) में होना चाहिए। यदि परिवार का मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का है तो ऊपर उल्लिखित आयु-समूह में परिवार का दूसरा अर्जनकर्ता व्यक्ति पात्रता की शर्त के अधीन सुरक्षा किया जाएगा।

पात्रता की संशोधित शर्त : व्यक्ति परिवार का सदस्य होना चाहिए और 18 से 59 के आयु समूह में होना चाहिए (अर्थात कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और साठ वर्ष का नहीं होना चाहिए) और पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करने वाला होना चाहिए जैसे कोई बैंक खाता रखना आदि।

iii. मूल शर्त : व्यक्ति के बैंक खाते से संबद्ध पास रूपे कार्ड और बायोमेट्रिक कार्ड होना चाहिए या यदि पहले से नहीं है तो बैंक खाते के साथ संबद्ध किए जाने की प्रक्रिया में होना चाहिए।

पात्रता की संशोधित शर्त : व्यक्ति के पास बैंक खाते से संबद्ध रूपे कार्ड और बायोमेट्रिक कार्ड होना चाहिए या यदि पहले से नहीं है तो बैंक खाते के साथ संबद्ध किए जाने की प्रक्रिया में होना चाहिए। तथापि, इस शर्त के कारण किसी दावे से मना नहीं किया जाना चाहिए।

iv. मूल शर्त : इस बीमा योजना में परिवार का केवल एक व्यक्ति ही सुरक्षा किया जाएगा और बहुल कार्डों/खातों वाले व्यक्ति के मामले में यह लाभ एक कार्ड के अंतर्गत ही अनुमत होगा अर्थात प्रति परिवार एक सदस्य, पात्रता की शर्तों के अधीन 30,000/- रुपए का एकल सुरक्षा प्राप्त करेगा।

पात्रता की संशोधित शर्त : बहुल कार्डों/खातों वाले किसी व्यक्ति के मामले में यह लाभ केवल एक कार्ड के अंतर्गत अनुमत होगा अर्थात एक व्यक्ति पात्रता की शर्तों के अधीन 30,000/- रुपए का एकल सुरक्षा प्राप्त करेगा।